

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-9
संख्या-1415/दो-9-2018-53(50)/2008
लखनऊ: दिनांक: 27 जून, 2018

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2011 के प्रथम संशोधन नियमावली 2014 दिनांक-04-03-2014 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री मुकेश कुमार गुप्ता, (से0नि0), पी0सी0एस0 को उनकी स्वयं की दिनांक 15.03.2018 से 07.04.2018 तक डा0 दीपक सरीन, मेदान्ता मेडिसिटी, गुडगांव से कराये गये उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष धनराशि रु0-7,13,694/- (रूपये सात लाख तेरह हजार छः सौ चौरानवे मात्र) की प्रतिपूर्ति किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-62 के अर्न्तगत लेखा शीर्षक "2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ-01-सिविल-800-अन्य व्यय-04-राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधीन सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों व उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-0402- दिनांक 08 नवम्बर, 2000 के पश्चात सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा उनके आश्रितों की विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-49-चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- श्री मुकेश कुमार गुप्ता, (से0नि0), पी0सी0एस0 का भारतीय स्टेट बैंक, ब्रान्च सेक्टर-36 नोएडा में खाता संख्या-20016288468 तथा आई0एफ0एस0 कोड-एस0बी0 आई0एन0-0011486 है। इनका पी0पी0ओ0 संख्या-पी-001/136/064333 है। श्री गुप्ता कोषागार गौतमबुद्धनगर से पेंशन आहरित करते हैं।


अनिता श्रीवास्तव
विशेष सचिव

संख्या-1415(1)/दो-9-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद
2. मुख्य कोषाधिकारी गौतमबुद्धनगर।
3. जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर को मूल बिल/वाउचर्स सहित।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5. अनुभागीय आदेश पुस्तिका।
6. श्री मुकेश कुमार गुप्ता, (से0नि0), पी0सी0एस0, सी-4/197, सेक्टर-36 नोएडा, गौतमबुद्ध नगर-201301
7. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,


(विश्वनाथ दुबे)
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-9
संख्या-1808/दो-9-2018-8(66)/2017
लखनऊ, दिनांक 05 जून, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 2011, यथा संशोधित नियमावली, 2014 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री सुनील कुमार तिवारी, समीक्षा अधिकारी, नियुक्ति अनुभाग-4 को उनकी पत्नी श्रीमती गंगोत्री तिवारी की दिनांक 11.02.2018 से 17.04.2018 तक डा0 पवन यादव, इन्दिरा आई0 वी0 एफ0 हास्पिटल, लखनऊ से कराये गये उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष धनराशि रू0-1,97,007/- (रूपये एक लाख सत्तानवे हजार सात मात्र) की प्रतिपूर्ति किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के उसी लेखा शीर्षक की मानक मद "49-चिकित्सा व्यय" के नामें डाला जायेगा, जिससे श्री सुनील कुमार तिवारी, समीक्षा अधिकारी, नियुक्ति अनुभाग-4 का वेतन आहरित किया जाता है।


अनिता श्रीवास्तव
विशेष सचिव

संख्या-1808(1)/दो-9-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
 - 2- नियुक्ति लेखा को अतिरिक्त प्रति एवं मूल बिल/बाउचर्स सहित।
 - 3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
 - 4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
 - 5- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।
 - 6- श्री सुनील कुमार तिवारी, समीक्षा अधिकारी, नियुक्ति अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
 - 7- कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- संलग्नक :- यथोक्त।

आज्ञा से,


(विश्वनाथ दुबे)
अनु सचिव